

विहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर।
email-eke2birpur1@gmail.com

पत्रांक/वीरपुर

दिनांक/...../2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना-01

पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, वीरपुर/भीमनगर/सिमरी/भपटियाही के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत स्थल निरीक्षण वाढ संघर्षात्मक कार्यो एवं अन्य सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु बोलेरो/समकक्ष चालक सहित वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से मुहर बन्द लिफाफा में कोटेशन के शर्तो के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है:-

कोटेशन पर वाहन रखने की नियम एवं शर्ते :-

1. भाड़े का वाहन व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर के कोटेशन दाता के साथ रू० 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नलिखित प्रपत्र में उद्धरित करना होगा :-

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	संख्या	ईंधन रहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करों सहित)
1	01.04.2026 से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यकाल तक	01	
2	01.06.2026 से 31.10.2026 तक वित्तिय वर्ष सहित अद्योहस्ताक्षरी के कार्यकाल तक	04	
3	बोलेरो/स्कॉर्पियो 01.04.2026 से 31.05.2026 तक	02	

8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
9. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संचारण वाहन मालिक की जवाब देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतमदर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोष जनक नही होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रतिलिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. बाढ़ अवधि एवं कटाव निरोधक कार्य की अवधि में वाहन का उपयोग किया जायेगा। तदनुसार चालक का उपलब्धता प्रत्येक स्थिति में वाहन मालिक/फर्म की जिम्मेवारी होगी।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो/दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।
16. वाहन मालिक/फर्म का जी०एस०टी० नम्बर एक्टिव रहने की स्थिति में ही भुगतान किया जायेगा।
17. नियमानुसार जी०एस०टी० एवं इन्कम टैक्स इत्यादि की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जायेगी। जिसका दावा मान्य नहीं होगा।
18. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 17 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
19. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशन दाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
20. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
21. शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
22. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक -09.04.2026
23. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक -20.04.2026
24. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर
25. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक-20.04.2026 को 3.30 बजे अपराहन
26. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर
27. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचनापट्ट एवं वेबसाईट www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

कोटेशन दाताओं को कोटेशन बंद लिफाफा में वाहन से संबंधित सभी अद्यतन कागजातों एवं आवश्यक शर्ताधीन सभी कागजातों के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान की जायेगी। एकरारित अवधि विभागीय निदेश के अनुरूप बढ़ाया-घटाया जा सकता है।


801-

कार्यपालक अभियंता
पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर

पत्रांक 287/वीरपुर

दिनांक 09/04/2026

प्रतिलिपि : सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आनुरोध है कि किन्ही दो दैनिक समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराना चाहेंगे।


कार्यपालक अभियंता
पूर्वी तटबंध प्रमंडल-2, वीरपुर।
9.4.26